7--राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8-विद्यालय का रिकार्ड,निर्धारित प्रपन्न/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9—उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के विना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

10-स्कूल सुंरक्षा नीति वर्ष 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वस्ती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश मौर्य) संयुक्त शिक्षा निदेशक. झॉसी मण्डल झॉसी।

. पृष्ठांकन सं0 / पी०ए० / एन०ओ०सी० / ००० - ०७ / 2024—25 प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित— तद्दिनॉक--

1—सचिव,माध्यमिक शिक्षा,उ०प्र0,शासन,लखनऊ।

- 2-आयुक्त महोदय झॉसी मण्डल झॉसी।
- 3-जिलाधिकारी, झॉसी।
- 4—शिक्षा निदेशक(मा०)उ०प्र०,लखनऊ।
- 5-जिला विद्यालय निरीक्षक, झॉसी।
- 6—निरीक्षक,आंग्ल भाषा विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- -प्रयैन्धक सेंट माइकल स्कूल पुनावली रोड रक्सा--झॉसी।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, झॉसी मण्डल झॉसी।